



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016

(THIRD PARTY ADMINISTRATORS - HEALTH SERVICES) REGULATIONS, 2016

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 019

Certificate of Registration No. 019

- मेसर्स **मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड** तृतीय पक्ष प्रशासक का पंजीकरण बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के अधीन नवीकृत किया जाता है।
- The registration of M/s. **Medsave Health Insurance TPA Limited** is hereby renewed as per provisions of Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and IRDAI (TPA – Health Services) Regulations, 2016 to act as Third Party Administrator.
- यह पंजीकरण **15-05-2023** से **14-05-2026** तक विधिमान्य होगा।
- This Registration shall be valid from **15-05-2023 to 14-05-2026**.
- यह पंजीकरण इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि तृतीय पक्ष प्रशासक, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेगा।
- This Registration is renewed subject to the condition that the TPA shall comply with all the provisions of the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999), and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Third Party Administrator – Health Services) Regulations, 2016, the rules or regulations made there under and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time. xxxxxxxxxxxxxx

स्थान : हैदराबाद

Place : Hyderabad

दिनांक: **27-04-2023**

Date: **27-04-2023**

कृते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority of India